न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या – 113 / 2016

निर्णय प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.05.2017

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 23 / 2021

तारीख दायरा – 22.06.2021

प्रार्थीगण :–

1. टेकाराम पुत्र गमनाराम जाति – सिरवी
2. भेराराम पुत्र हेमाजी जाति– सिरवी
3. मोहनलाल पुत्र मगाजी जाति– सिरवी

निवासीगण – देसूरी, तहसील– देसूरी जिला –पाली(राज.)

–: बनाम :–

अप्रार्थीगण :–

1. नेनाराम पुत्र कुपारामजी जाति–सिरवी, निवासी–देसूरी तहसील –देसूरी, जिला – पाली(राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति–

1– श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता– प्रार्थी की ओर से।

2– अप्रार्थी एक पक्षीय।

–: निर्णय :– **दिनांक– 22.09.2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने न्यायालय में दिनांक 11.06.2016 को राजस्व वाद [illegible] बनाम टेकाराम पेश किया गया था। जिसमें प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या [illegible] थे। वाद की आगामी तारीख पेशी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:58 IST
Reason: SelfAttested

पेज [illegible] 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ.) देसूरी (पाली)

दिनांक 22.09.2016 को तलबाना पेश करने तलबी में नियत थी। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 27.05.2017 को लोक अदालत केम्प देसूरी में सुनवाई में लेकर प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में वाद को विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णित करते हुए वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। जिससे प्रार्थी द्वारा एक पक्षीय प्राथमिक डिक्री और निर्णय को अपास्त कर पुनः वाद को सुनवाई हेतु नम्बर पर लेने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 11, 13, 14, 16, 17 से 28 तक अनुपस्थित थे, प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 6 , 9 से 14 मय अधिवक्ता भी 27.05.2017 को अनुपस्थित होने से एक पक्षीय निर्णय और डिक्री दिनांक 27.05.2017 को अपास्त कर वाद को पुनः नम्बर पर लेने का आदेश दिया जाना न्याय संगत है।

लोक अदालत केम्प देसूरी में सभी पक्षकारों की उपस्थिति और सहमति होने पर ही पत्रावली पर सुनवाई की जा सकती थी, जबकि प्रतिवादीगण सभी उपस्थित नहीं थे तथा न ही वाद स्वीकार की कोई लिखित सहमति ही थी, जिससे भी डिक्री और निर्णय अपास्त योग्य है।

प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में किये गये निर्णय दिनांक 27.05.2017 को अपास्त नही किया जाता है तो प्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेंगे।

प्रार्थीगण के बीमार रहने तथा लोक डाऊन के दौरान अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर तथा दिनांक 16.06.2021 को नकले प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि प्रार्थीगण की अनुपस्थिति एवं जानकारी के अभाव में बिना राजीनामा, समझौता के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.05.2017 को जारी कर दी गई है। जिससे प्रार्थीगण द्वारा जानकारी से 30 दिनों के भीतर अन्दर मयाद प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वाद संख्या 113/2016 में जारी की गई प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 27.05.2017 को अपास्त किया जाकर वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थीगण को वाद की सुनवाई का अवसर प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण ... गया। पत्रावली मय मूल वाद संख्या 113/2016 का अवलोकन किया ... वाद मय प्राथमिक

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमांक (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी राजस्व विविध सं. 23/2021
उनवान टेकाराम वगैरह बनाम नेनाराम अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

डिकी एवं निर्णय के अवलोकन व अध्ययन से उपरोक्त विवेचन के मध्य नजर वाद संख्या 113/2016 में दिनांक 27.05.2017 को लोक अदालत केम्प में पारित प्राथमिक डिकी एवं निर्णय प्रार्थीगण की अनुपस्थिति एवं वाद को विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय किया जाना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य पाया जाने से स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 113/2016 में पारित प्राथमिक डिकी एवं निर्णय दिनांक 27.05.2017 को अपास्त किया जाता है। मूल वाद संख्या 113/2016 पुनः दिनांक 09.03.2021 को दर्ज हो चुका है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 22.09.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.19 15:00:58 IST
Reason: SelfAttested